



मुहर

की गई।

वसंत में वस्तुवत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह मई सन 2018 को जारी  
वस्तुवत  
मई (सीक)  
ओहरा

खर्चा इस मुकदमे के मध्य शर्त बंधारह  
..... का अदा करे।  
तारीख अदायगी तक  
निज.....  
..... मुबलिया  
..... बाबत

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कर्टई कबक..... में  
..... मुकदमा नं. 07 सन 2017  
..... श्री महेपाल मूण्ड मनजानिब  
..... श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट  
..... कि वादी सिद्ध नहीं होने से  
..... मुदायलत पैश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी सिद्ध नहीं होने से  
..... खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकन अपना अपना वहन करेगा।

दावा बाबत स्याई निवेदाज्ञा

पतिवादीगण

बनाम

1. निजाम खां आयु 43 वर्ष पुत्र स्व. चीन खां
  2. फाकक आयु 34 वर्ष पुत्र स्व. हकीज खां
  3. साकिब आयु 22 वर्ष पुत्र निजाम खां
  4. जाहीर अली आयु 28 वर्ष पुत्र स्व. हकीज खां
- समस्त जाति मुसलमान कायमखानी निवासीगण ग्राम बेसवा तहसील फतेहपुर

वादी

..... (आ.ए.एस.)  
..... अर्जल रहमान जाति मुसलमान कायमखानी निवासी ग्राम बेसवा  
..... तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

मुकाम..... फतेहपुर (सीकर)

(दि 20 फर 17 का दर्ता)

पदा रिफा मुकदमा नं. 07 सन 2017

